

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकर (ले एवं हक), बिहार,

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:-

23/3/26

विषय- खेल विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 95,59,134/- (पंचानवे लाख उनसठ हजार एक सौ चौतीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में खेल विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 95,59,134/- (पंचानवे लाख उनसठ हजार एक सौ चौतीस रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है:-

क्रम सं०	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01	भवन प्रमंडल, बेगूसराय	30538	Renovation of Stadium Boundary wall, Raising Boundary Wall and PHE work at High School, Teyay Under Bhagwanpur Block in District Begusarai.	171/ 17.04.25	2810073 (अठाईस लाख दस हजार तिहत्तर रुपये)
02	भवन प्रमंडल, बेगूसराय	30514	Construction of sitting gallery in Left side of Western Boundary wall at Yamuna Bhagat Stadium, Barauni, Begusarai	484/ 24.09.25	1311647 (तेरह लाख ग्यारह हजार छः सौ सैतालीस रुपये)
02	भवन प्रमंडल, सहरसा	30414	Construction of Stadium at kalawati +2 High School at Kahara. (Remaining Work)	76/ 20.09.24	2475539 (चौबीस लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ उनचालीस रुपये)
03	भवन प्रमंडल, सहरसा	30340	Construction of Boundary Wall and Earth Filling for Bangaon Stadium in Kahara Block in the Distt. of Saharasa	75/ 20.09.24	2961875 (उनतीस लाख इकसठ हजार आठ सौ पचहत्तर रुपये)
कुल योग:-					9559134

(पंचानवे लाख उनसठ हजार एक सौ चौतीस रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य भवन-लघुशीर्ष-051-निर्माण उपशीर्ष-0106-स्टेडियम एवं खेल संरचना विपत्र कोड-03-4059600510106 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0106.53.01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जायेगी।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।